भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1322
उत्तर देने की तारीख 25.07.2022

प्रति बच्चा शिक्षा व्यय

†1322. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एकरूपता और पारदर्शिता हेतु प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए मानकीकृत ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्यों द्वारा प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए अपनाए जाने वाले वर्तमान ढाँचे का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार राज्यों के लिए प्रति बच्चा व्यय को निरंतर संशोधित करने हेतु अधिदेश बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) 2014-15 से प्रति बच्चा व्यय में संशोधन करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की धारा 12 (2) में यह उपबंध किया गया है कि नि:शुल्क और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को, अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्कूलों को उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा प्रति बच्चा किए गए व्यय अथवा बच्चे से ली गई वास्तविक धनराशि; इनमें जो भी कम हो, की सीमा तक यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और देश के अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपनी प्रति बच्चा लागत निर्धारित करने की स्वंतत्रता प्रदान की गई है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 2014-15 से 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रति बच्चा लागत में संशोधन किया है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न बैठकों जैसे कि राज्यों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन, संयुक्त समीक्षा मिशनों (जेआरएम), परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) बैठकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श/दिशा-निर्देश देती रही है।

*****